सं०–03 / परी०–B.T.S.C.-59 / 2019 ....42.... दिनांक 11-01-2022

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग
19, हार्डिग रोड, पटना।

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०–01 / 2020, अकुपेशनल थेरापिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु काउंसलिग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक उनके नाम एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ आयोग के वेबसाईट –www.btsc.bih.nic अथवा इस लिंक पर (http://103.75.167.34/OCCU/) आपत्ति दर्ज करने (यदि हो तो) हेतु डाला जा रहा है।

अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, मोबाईल नम्बर अथवा Email एवं जन्म तिथि डालकर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने पर अथवा प्राप्तांक से असंतुष्ट / असहमत होने पर अपना आपत्ति कारण सहित **दिनांक–12.01.2022 से दिनांक–19.01.2022** तक आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते है।

उक्त ऑनलाईन ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई–मेल / निबंधित डाक / कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें :–

1. ऑनलाइन आवेदन में कार्य अनुभव का दावा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को कार्य अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है।
2. कार्यानुभव का अंक केवल संविदा के आधार पर बिहार सरकार के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को दिया गया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है।
3. अनुभव की गणना दिनांक–16.03.2020 तक की गई है। अनुभव प्रमाण–पत्र एवं वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र दिनांक–15.04.2021 के पूर्व का निर्गत होने पर ही मान्य है।
4. वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र (दिनांक–15.04.2021 के पूर्व का निर्गत) काउंसलिंग में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।
5. ऑनलाइन आवेदन में जिस भी कोटि में दावा किया गया है, परन्तु काउंसलिंग में किसी अन्य कोटि का प्रमाण–पत्र दिया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में रखा गया है।
6. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछड़ा वर्ग (BC)/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (EBC) कोटि में दावा किया है, परन्तु काउंसलिंग में दिनांक–15.04.2021 के पूर्व का निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में रखा गया है।

7. वैसे महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा आरक्षित कोटि में दावा किया गया, परन्तु जाति अथवा क्रीमीलेयर रहित अथवा आर्थिक रूप से कमजोर कोटि का प्रमाण–पत्र पति के नाम से निर्गत है, वैसे अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि में रखा गया है।

8. विज्ञापन में वर्णित अधिकतम उम्र सीमा पार कर गये अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से कार्यानुभव का अंक नहीं देने/कोटि परिवर्तन होने पर आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोटः–

1. **प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के अंको की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जा सकेगी।**
2. **संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांको की जाँच हेतु अपलोड की गयी है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।**

ह० 11.1.2022

सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।